न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

अपील संख्या 12/2025

नागरमल आयु 78 उम्र पुत्र श्री मातुराम जाति खाती, निवासी जाटों का मौहल्ला, सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।

—अपीलान्ट—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनू।

—रेस्पोडेन्ट—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राज0 भू—राजस्व अधिनियाम 1956 अपील खिलाफ आदेश दिनांकित 07.10.2024 द्वारा न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम नागरमल मुकदमा नम्बर 64/2024 अन्तर्गत धारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द सिंह किशनावत, एडवोकेट.....अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता.....रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 28.7.2025

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि हलका पटवारी सूरजगढ द्वारा प्रार्थी/अपीलांट द्वारा रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 349 रकबा 3.29 हैक्टेयर वाके राजस्व ग्राम सूरजगढ पर 0.030 हैक्टर भूमि पर तारबन्दी की बाड़ कर अतिक्रमण करने की झूठी रिपोर्ट तहसीलदार सूरजगढ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण 64/2024 दर्ज कर अपीलांट को कथित अतिक्रमण हटाने बाबत नोटिस जारी किया जिस पर अपीलांट द्वारा जवाब पेश किया गया कि अपीलांट ने खसरा नम्बर 349 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नही हुआ है। मौके पर रास्ता पूर्णरूपेण चालू है जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 414

साबिक खसरा नम्बर 137/707 पर पुरानी नक्शा शीट के अनुसार कदीमी समय से काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी ने कोई अतिक्रमण नही किया है। नवीन सेटलमेंट के दौरान हाल खसरा नम्बर 414 की नक्शा शीट को लापरवाही से छोटा दर्शा दी गई है जबकि साबित नक्शा शीट में प्रार्थी की खातेदारी भूमि गत खसरा नम्बर 137/707 की स्थिति भौतिक रूप से वास्तविक क्षेत्रफल के अनुसार दर्शाया गया है। नई नक्शा शीट में प्रार्थी की खातेदारी भूमि हाल खसरा नम्बर 414 जिसके पश्चिम दिशा में गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 349 लगता हुआ है उसकी स्थिति को गलत रूप से दर्शा दिया तथा रास्ते के खसरे को गलत रूप से प्रार्थी के खसरे की तरफ गोलाई में घुमा दिया। जिसकी दुरस्ती हेतु प्रार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष एक दावा उनवानी नागरमल बनाम सरकार पेश कर रखा है जो विचाराधीन है जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है जो आदिनांक तक प्रभावी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के विरूद्ध गलत रूप से धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किये गये है जिसे ड्रॉप किया जाना न्यायोचित है। प्रकरण में अदालत मातहत ने जिस रास्ते पर प्रार्थी को अतिक्रमी बताया गया है। वह सुचारू रूप से चालू है तथा उस पर ग्रेवल डाली हुई है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 को अपास्त किया जावे।

अपील न्यायालय में प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट को नोटिस भेजकर तामील की गई। मिसल मातहत तलब की जाकर बहस सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अपीलांट को रास्ते की भूमि पर तारबंदी कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने के आदेश पारित किये है। मौके पर वह रास्ता सुचारू रूप से चालू है। प्रकरण में विवादित भूमि में नर्द नक्शा शीट में रास्ते के गलत अंकन को दुरस्त करने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के यहां एक दावा पेश कर रखा है जिसमें उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखें जाने के स्थगन आदेश पारित किये हुए है। वह स्थगन आज दिनांक तक प्रभावी है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2024 को अपास्त किया जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल अधीनस्थ न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में नक्शा शीट दूरस्तीकरण हेतु प्रार्थी/अपीलान्ट ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के

यहां विचाराधीन है जिसमें मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने व सड़क निर्माण नही करने बाबत स्थगन आदेश दिया गया है। जो वर्तमान में प्रभावी है। अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थी ने अपने जवाब में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख करते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय पारित करते समय विवादित भूमि खसरा नम्बर 414 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ द्वारा पारित स्थगन आदेश को नजरअदांज करते हुए निर्णय दिनांक 07.10.2024 पारित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण को धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.10.2024 मुकदमा संख्या 64/2024 उनवानी सरकार बनाम नागरमल अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 निरस्त किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावा के अधीन प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति मय मिसल अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार सूरजगढ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक १४.१०.२०२५ को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।